हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की फांसी को आजीवन कारावास में बदला

हाईकोर्ट ने डूंगरपुर में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला सुनाया

- हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अपराध जघन्य जरूर है, लेकिन यह दुर्लभ से दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) की श्रेणी में नहीं आता
- कोर्ट ने पाया कि दोषी जितेंद्र का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह विवाहित है और उसके दो छोटे बच्चे हैं

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने डूंगरपुर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी की फांसी की सजा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने रेप व मर्डर के दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू को विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के आदेश में ये संशोधन किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अपराध जघन्य जरूर है, लेकिन यह दुर्लभ से दुर्लभतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) की श्रेणी में नहीं आता-क्योंकि आरोपी पहली बार का अपराधी है, उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह पत्नी और दो नाबालिग बच्चों का मुखिया है।

यह घटना डूंगरपुर जिले के एक थाना क्षेत्र की है। 28-29 जून 2022 की आधी रात को पीड़ित मासूम बच्ची अपने घर के आंगन में अपनी मां और भाई-बहनों के साथ सो रही थी। सुबह करीब 5:30 बजे जब उसकी मां की आंख खुली, तो उन्होंने पाया कि बच्ची बिस्तर से गायब थी। परिजनों ने आसपास के खेतों और रास्तों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसी दिन शाम को एक मार्ग पर एक पुलिया के भीतर बच्ची का लहूलुहान शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और 2 जुलाई 2022 को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में डॉ. गुणवंती मीणा द्वारा किए गए पोस्टमॉर्टम में यह पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ वीभत्स यौन हमला किया गया था और उसके सिर पर भारी पत्थर से प्रहार करने के साथ ही गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी।

गवाह मोगा कटारा ने बयान दिया कि 29 जून को सुबह 6:30 बजे उसने आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को उसी पुलिया के पास बीयर की बोतल लिए देखा था। पूछने पर आरोपी ने कहा कि उसे रातभर से चिंता है। एक अन्य गवाह ने 28 जून की शाम आरोपी के साथ पीने की बात कबूली और उस दौरान ली गई फोटो में आरोपी की बेज रंग की शर्ट पहचानी। इसी आधार पर 2 जुलाई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 3 जुलाई को उसके घर से वही शर्ट और अन्य कपड़े बरामद हुए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि शर्ट पर पीड़ित बच्ची का खून और पीड़ित के कपड़ों पर आरोपी के बाल मिले, यह साक्ष्यों की कड़ी निर्णायक रही। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मर्डर रेफरेंस और दोषी की अपील पर लंबी कानूनी जिरह हुई। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जैन ने तर्क दिया कि अभियोजन का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।

उन्होंने दलील दी कि पुलिस ने आरोपी के घर से जो कपड़े बरामद किए, उस समय घर पर कोई ताला नहीं लगा था और न ही कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद था, जो इस रिकवरी को संदिग्ध बनाता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी वारदात के बाद न तो फरार हुआ और न ही उसने छिपने की कोशिश की, जो उसकी निर्दोषता का एक बड़ा संकेत है।

इसके विपरीत, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि एक 10 साल की असहाय बच्ची के साथ की गई यह दरिंदगी समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाली है, इसलिए मृत्युदंड ही एकमात्र न्यायोचित सजा है।

खंडपीठ ने साक्ष्यों का गहनता से पुनर्मूल्यांकन करते हुए माना कि अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्धि की कड़ियों को वैज्ञानिक रूप से साबित किया है। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक की टी-शर्ट पर आरोपी के सिर के बाल मिले और आरोपी की शर्ट पर मृतक के खून की पुष्टि हुई। इसके अलावा, गवाह मोगा कटारा ने घटना वाली सुबह आरोपी को उसी पुलिया से बाहर निकलते देखा था, जहां बाद में शव मिला। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन मृत्युदंड के प्रश्न पर उदार रुख अपनाया। सजा को उम्रकैद में परिवर्तित करते हुए अदालत ने संदर्भ मामले के सिद्धांतों का हवाला दिया। कोर्ट ने पाया कि दोषी जितेंद्र का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह विवाहित है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में कहा कि चूंकि अपराध पूर्व-नियोजित नहीं था और अपराधी की सामान्य सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि व जेल में उसके आचरण को देखते हुए उसमें सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं मानवीय और कानूनी पहलुओं को आधार बनाकर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।

श्रीगंगानगर में किसान की फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की ठगी

- आरोपी ने घर बैठे कमाई का झांसा देकर चेक बुक ली, लीगल नोटिस मिलने लगे तो पता चला

श्रीगंगानगर, (निसं)। एक साधारण किसान को फर्जी तरीके से व्यापारिक फर्म का प्रोप्राइटर बना कर करोड़ों रुपए का माल उठाने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

पूनिया ट्रेडर्स के नाम से खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स का व्यापार करने वाले रमन पूनिया पर आरोप है कि उन्होंने गांव के किसान रिछपाल बिश्नोई को हिस्सेदार बनने का लालच देकर बैंक के कागजातों पर दस्तखत करवा लिए। इसके बाद चेक बुक अपने पास में रख ली। बाद में किसान के नाम से अनादरित चेक देकर कई फर्मों से माल मंगवाया और अब किसान पर करोड़ों की देनदारी के कानूनी नोटिस आ रहे हैं। किसान रिछपाल बिश्नोई पुत्र शंकरलाल, निवासी गांव 65 एलएनपी ने एसपी को शिकायत देकर रमन पूनिया, निवासी कालूवाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

पुलिस के अनुसार, रमन पूनिया का ननिहाल पीड़ित के गांव में है, जिसके चलते दोनों के बीच जानकारी हुई। रिछपाल बिश्नोई ने शिकायत में बताया कि रमन पूनिया ने उन्हें साधुवाली बाइपास पर स्थित पूनिया ट्रेडर्स फर्म में पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया और कहा कि घर बैठे पैसे कमा कर दूंगा। इसके लिए बैंक से लोन दिलवाने का बहाना बनाकर कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। निजी बैंक में किसान का खाता खुलवाकर चेक बुक जारी कराई और उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद रमन पूनिया ने बताया कि लोन नहीं मिला, इसलिए हिस्सेदारी की बात खत्म। लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। वर्ष 2023 में रमन पूनिया उनके घर आए और कुछ लिफाफे थमा दिए। इनमें किसान के नाम से चेक अनादरित (बाउंस) होने पर कानूनी कार्रवाई के नोटिस थे। हैरान किसान ने देखा कि वह कभी फर्म का प्रोप्राइटर ही नहीं बना था, फिर भी उसके नाम पर करोड़ों रुपए का माल विभिन्न फर्मों से उठाया गया और चेक उनके नाम के दिए गए।

किसान ने बताया कि मुझे फंसाने के लिए पूरा फर्जीवाड़ा रचा गया। मैं खेती-बाड़ी करता हूं, व्यापार की इन बातों से अनजान था। अब कंपनियों से कानूनी नोटिस आ रहे हैं और करोड़ों की देनदारी मेरे सिर पर लाद दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रमन पूनिया पर धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के गंभीर आरोप लगे हैं।

पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल, आत्महत्या की आशंका जताई

- सेना का जवान सप्ताह पहले छुट्टी पर आया था, पारिवारिक विवाद के बाद घर से निकला था
- बताया जा रहा है कि युवती से पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी

झुंझुनूं/गुढ़ागौड़जी, (निसं)। भोड़की गांव के जोहड़ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब छह बजे गांव निवासी दिनेश कुमावत जब जोहड़ की ओर गए तो उन्होंने कीकर के पेड़ पर युवक और युवती को लटका देखा। यह दृश्य देखकर उन्होंने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया।

पुलिस को मौके पर दोनों के पास कुछ संदिग्ध गोलियां भी मिली हैं, जिससे जहर सेवन की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। दोनों शवों को कब्जे में लेकर गुढ़ागौड़जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवाया गया।

पुलिस ने युवक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान भिवानी निवासी 32 वर्षीय सुनील कुमार के रूप में की, जबकि युवती की पहचान खींवासर गांव निवासी इंदुबाला के रूप में हुई। सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने बताया कि सुनील भारतीय सेना में कार्यरत था और करीब एक सप्ताह पहले ही छुट्टी लेकर घर आया था। बताया जा रहा है कि उसकी युवती से पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई।

परिवार के अनुसार सुनील को युवती से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया था, जिसके बाद घर में विवाद बढ़ गया था। गुरुवार शाम करीब पांच बजे सुनील घर से निकला था, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन सुबह इस दुखद घटना की सूचना मिली। पुलिस जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना के पीछे परिस्थितियां क्या रही।

डेयरी संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी

- मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा कि बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूं, बैंक वालों ने प्रेशर बना रखा है

चिड़ावा/झुंझुनूं, (निसं)। कर्ज के बोझ और बैंक के कथित दबाव ने एक और परिवार उजाड़ दिया। सूरजगढ़ क्षेत्र के मावंडियों की ढाणी के पास गुरूवार रात एक डेयरी संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट में उसने साफ लिखा- बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूं, बैंक वालों ने प्रेशर बना रखा है। मृतक विनोद पूनिया (50) निवासी रामरख की ढाणी, उधमपुरा ने डेयरी संचालन के लिए बैंक से करीब 31 लाख 11 हजार रुपए का लोन लिया था।

जानकारी के अनुसार, पशुधन में नुकसान और आर्थिक तंगी के चलते वह किश्तें नहीं चुका पा रहा था। बताया जा रहा है कि हाल ही में बैंक की ओर से बकाया राशि का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। विनोद की जेब से मिले सुसाइड नोट में लिखा मिला कि मेरे गायों की डेयरी है, उसमें नुकसान हो रहा है। बैंक का लोन नहीं चुका पा रहा हूं। बैंक वाले प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए यह कदम उठा रहा हूं।

परिजनों के अनुसार, विनोद गुरुवार सुबह घर से यह कहकर निकला था कि वह दूध का भुगतान लेने और पशुओं के लिए चारा लाने जा रहा है। शाम तक घर नहीं लौटने पर चिंता बढ़ी, और रात करीब सवा 9 बजे पुलिस का फोन आया-जिसके बाद परिजन रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां विनोद का शव मिला। परिवार का आरोप है कि दो-तीन दिन पहले बैंक मैनेजर और कर्मचारी घर आए थे और किश्त जमा नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी दी थी। इसी के बाद से विनोद गहरे तनाव में था, गुमसुम रहने लगा था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था।

घटना की सूचना मिलते ही चिड़ावा थाने से एएसआई ओमप्रकाश नरूका मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सुसाइड नोट और बैंक के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। शव को उप जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण शुक्रवार सुबह चिड़ावा थाने पहुंचे और बैंककर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने मृतक परिवार के लिए पूरा कर्ज माफ करने, परिवार के भरण-पोषण की व्यवस्था करने की मांग उठाई है।

शेखावाटी की जीवनरेखा 'काटली नदी' को बचाने के लिए जन अभियान तेज

हरित पट्टिका, अतिक्रमण मुक्त धारा और सिंधु जल प्रवाह की मांग उठी

- सरस्वती रूरल एंड अरबन डेवलपमेंट सोसायटी, झुंझुनूं के नेतृत्व में अभियान संयोजक सुभाष कश्यप सहित अनेक सामाजिक, कानूनी व शिक्षाविद् प्रतिनिधियों ने जिला कलैक्टर डॉ. अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपा

झुंझुनूं, (निसं)। शेखावाटी क्षेत्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली काटली नदी के पुनर्जीवन को लेकर जनआवाज अब मजबूत होती नजर आ रही है। काटली नदी बचाओ जन अभियान के तहत नदी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण कर हरित पट्टिका विकसित करने, सहायक नालों और जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा नदी क्षेत्र में जल संरचनाओं के सुदृढ़ निर्माण की महत्त्वाकांक्षी मांग उठाई गई है।

सरस्वती रूरल एंड अरबन डेवलपमेंट सोसायटी, झुंझुनूं के नेतृत्व में अभियान संयोजक सुभाष कश्यप सहित अनेक सामाजिक, कानूनी व शिक्षाविद् प्रतिनिधियों ने जिला कलैक्टर डॉ. अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपते हुए काटली नदी के समग्र पुनर्जीवन की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। ज्ञापन में उद्गम स्थल से लेकर विभिन्न क्षेत्रों तक नदी के संरक्षण, संवर्धन और दीर्घकालिक उपयोग की रणनीति को रेखांकित किया गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से नदी के दोनों किनारों पर स्थानीय जलवायु के अनुकूल, दीर्घायु वृक्षों का रोपण कर हरित पट्टिका विकसित करने की माँग की गई है, जिससे न केवल पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा, बल्कि भविष्य में अतिक्रमण की आशंकाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। साथ ही नदी के सीमांकन की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। अभियानकर्ताओं ने काटली नदी के उद्गम स्थल सहित सहायक नालों व जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने की आवश्यकता पर बल देते हुए जोधपुरा सुनारी, मैनपुरा, हीरवाना और बगड़ क्षेत्र में जल सोखता बाँध (रिचार्ज स्ट्रक्चर) बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही नदी में सिंधु जल प्रवाहित करने की माँग भी प्रमुख रूप से उठाई गई, ताकि क्षेत्र में जल संकट का स्थायी समाधान संभव हो सके।

संयोजक सुभाष कश्यप ने बताया कि काटली नदी को पुनर्जीवित करने के इस अभियान को व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। इसके तहत जल्द ही सीकर, झुंझुनूं और चूरू के जिला कलेक्टरों के साथ-साथ शेखावाटी क्षेत्र के सांसद बृजेंद्र सिंह ओला, राहुल कस्वां और अमराराम को भी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

जिला कलैक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने नदी एक्टिविस्टों की बात को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिससे अभियान को नई ऊर्जा मिली है। ज्ञापन पर महेश बसावतिया, एडवोकेट महेंद्र कुमार, सतीश मिश्रा, धर्मपाल यादव, दीपक मीणा, मदन खैरवा, धन सिंह कश्यप, विजय सिंह ओला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर रहे।

महिला कर्मचारी की स्कूटी चोरी

अजमेर, (कासं)। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र मेंएक महिला कर्मचारी की स्कूटी चोरी हो गई। जानकारी अनुसार, एक निजी अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मचारी रोजाना की तरह अपने काम पर पहुंची थी। उसने अस्पताल के बाहर अपनी स्कूटी खड़ी की और ड्यूटी पर चली गई। लेकिन जब वह अपनी ड्यूटी पूरी कर बाहर लौटी, तो वहां उसकी स्कूटी नहीं मिली। काफी तलाश करने के बाद भी वाहन का कोई सुराग नहीं लगा। घटना के बाद महिला ने तुरंत आदर्श नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

उदयपुर में बस और ट्रेलर में भिड़ंत, बस कंडक्टर घायल

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर का केबिन टूटकर इंजन से पूरी तरह से अलग हो गया जबकि बस के पिछले टायर निकलने से अनियंत्रित होकर बस नाले में फंस गई। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर मौका देखकर भाग निकले।

हादसा डबोक थाना क्षेत्र में तुलसीदास जी की सराय स्थित शाश्वत धाम कट पर गुरुवार रात करीब 12 बजे हुआ। गनीमत यह रही कि उस वक्त बस में केवल दो ही यात्री सवार थे, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। हादसे में यात्रियों को ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन बस का कंडक्टरघायल हो गया। निजी स्लीपर बस डबोक सर्विस रोड से होते हुए उदयपुर नेशनल हाईवे पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हाईवे पर चढ़ने के लिए बस ड्राइवर ने जैसे ही राइट टर्न लिया उसने पीछे से आ रहे वाहनों पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा एक ट्रेलर सीधे बस से जा भिड़ा। बस अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे बने नाले में जाकर फंस गई।

झुंझुनूं में खिलौना गोदाम में भीषण आग लगी

झुंझुनूं, (निसं)। शहर के भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड क्षेत्र में शुक्रवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शारदा हॉस्पिटल के पीछे स्थित एक खिलौना गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी लपटें हॉस्पिटल के पिछले हिस्से तक पहुंच गई। हालांकि, समय रहते फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर करीब 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार घटना शाम करीब 4:30 से 5 बजे के बीच मान नगर स्थित शारदा हॉस्पिटल के पास हुई। हॉस्पिटल के पीछे अशोक वालिया के प्लॉट में बने कमरों में प्लास्टिक के खिलौनों का गोदाम संचालित था, जहां बड़ी मात्रा में खाली गत्ते (कार्टन) भी रखे हुए थे। इन्हीं ज्वलनशील सामग्री में अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। प्लास्टिक और गत्तों के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। तेज लपटों ने पास स्थित हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां लगे कूलर डक्ट में भी आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस थानाधिकारी श्रवण कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। भीड़भाड़ वाले संकरे इलाके में लोगों को तत्काल सुरक्षित दूरी पर हटाया गया।

अजमेर में नकली मुनीम बनकर पांच लाख की ठगी

अजमेर, (कासं)। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां किशनगढ़ निवासी एक युवक से खुद को मुनीम बताने वाले व्यक्ति ने पांच लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एएसआई रामनिवास ने बताया कि किशनगढ़ निवासी दीपक परैवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने परिचित की दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान दिलीप सिंह नाम का व्यक्ति वहां आया और खुद को त्रिलोक जैन का मुनीम बताया। आरोपी ने कहा कि उसका सेठ बिठूर में बने गोदाम रखा कुछ सामान बेचना चाहते हैं, जिसकी कुल कीमत 11 लाख रुपए है। आरोपी की बातों में आकर दीपक ने सौदे के लिए सहमति दे दी और 5 लाख रुपए नकद दे दिए। इसके बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट भी कर लिया गया। आरोपी ने पीड़ित से कहा कि वह जीसीए चैराहा पहुंचे, वह पीछे-पीछे आता है। जब आरोपी जीसीए चैराहे पर नहीं पहुंचा तो दीपक ने उसे फोन किया। इस पर आरोपी ने उसे बिठूर स्थित गोदाम पहुंचने को कहा। जब पीड़ित वहां पहुंचा और चैकीदार से बात की, तो मालिक से संपर्क करने पर स्पष्ट हुआ कि उनके यहां इस नाम का कोई मुनीम नहीं है और न ही कोई सामान बिक्री के लिए रखा गया है। घटना के बाद पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और उसने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया।

जोधपुर : लॉरेंस के नए गुर्गे ने पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष से दो करोड़ की फिरौती मांगी

- टाइसन विश्नोई ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी दी

जोधपुर, (कासं)। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का एक नया गुर्गा सामने आया है, जिसका नाम टाइसन विश्नोई है। टाइसन ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सुनील चौधरी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी देकर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। टाइसन विश्नोई ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताते हुए यह धमकी दी है। इसको लेकर सुनील चौधरी ने रातानाडा थाने में रिपोर्ट दी है।

थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि अयोध्याराज अपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास रहने वाले सुनील चौधरी पुत्र पूनाराम ने मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि उसके मोबाइल पर गुरुवार सुबह व्हॉट्सएप के जरिए एक विदेशी कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य टाइसन विश्नोई होना बताया और दो करोड़ की फिरौती मांगते हुए जान की धमकी दी। टाइसन विश्नोई ने सुनील चौधरी से कहा कि दो दिन में दो करोड़ रुपए देने होंगे। वह उसकी पूरी दिनचर्या जानता है। रुपए नहीं दिए तो कभी भी मार देगा। थानाधिकारी ने बताया कि धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की पड़ताल की जा रही है। टाइसन विश्नोई ने जिस नंबर से चौधरी को व्हाट्सएप कॉल किया, उस नंबर का कोड दक्षिण अमेरिकी शहर वर्जीनिया का था। हालांकि यह अभी जांच का विषय है कि कॉल वहां से ही की गई है या नहीं।

लॉरेंस विश्नोई गिरोह के सदस्यों ने पहली बार जोधपुर में 2017 में एक डॉक्टर व एक ट्रैवलर के घर फायरिंग कर एंट्री ली थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा। लॉरेंस के ही एक गुर्गे ने जोधपुर में वासुदेव इसरानी की हत्या कर दी थी, जिसके आरोप में जोधपुर पुलिस पंजाब से लॉरेंस को लेकर आई थी और उसे जोधपुर जेल में रखा गया था। इस दौरान कई स्थानीय अपराधी जोधपुर जेल में थे, जिनका पहले लॉरेंस और बाद में उसके भाई अनमोल से सीधा संपर्क हो गया। जिसके बाद जोधपुर, फलोदी, बीकानेर इलाके में नेटवर्क बन गया। लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम से लोगों को डराकर रंगदारी वसूलने के लिए जोधपुर में धमकियां आती रहती हैं। इस वर्ष चार लोगों से वसूली के लिए धमकियां दी गई हैं। इनमें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में दो लोगों को धमकी देकर दो करोड़ मांगे गए थे। इसके बाद मोती चौक में होटल व्यवसायी व निवर्तमान पार्षद को धमकी भरा कॉल किया गया था। इन तीनों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। फिर सरदारपुरा में एक व्यवसायी को धमकाया गया था।

अलवर : मां ने चार साल की बेटी की गला दबाकर हत्या की

मां ने भी ब्लेड से हाथों की नसें काटकर सुसाइड का प्रयास किया

- बताया जा रहा है कि महिला पिछले दो साल से मानसिक रूप से परेशान थी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

अलवर/राजगढ़, (निसं)। अलवर में महिला ने चार साल की बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने ब्लेड से अपने हाथों की नसें काटकर सुसाइड का प्रयास किया। महिला का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ इलाके की शुक्रवार सुबह की है।

मृतक बच्ची के ताऊ नीरज सैनी (30) ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे गरिमा (4) को स्कूल भेजने के लिए पिता संतोष (27) ने कमरे का गेट खोला। बेटा ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बेटी को जगाया तो वह बोल नहीं रही थी। गरिमा के गले पर निशान थे। उसे तुरंत राजगढ़ हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद संतोष की पत्नी शीला (25) को देखा। वह बेहोशी की हालत में थी। गांव के दो लोगों को बुलवाया। उसके बाद गाड़ी से शीला को भी हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने गरिमा को मृत घोषित कर दिया। वहीं शीला की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। नीरज सैनी ने बताया कि शीला पिछले दो साल से मानसिक रूप से परेशान है। उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह कई बार अजीब हरकतें भी करती थी। उसकी आवाज भी बदल जाती थी। इस कारण दोनों बच्चे भी उससे दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन वह बच्चों को जबरदस्ती अपने पास सुलाती थी।

पुलिस ने बताया कि सूरज ने रिपोर्ट में लिखा कि और दिन गरिमा उसकी मां के पास सोती थी। 16 अप्रैल की रात्रि 10 बजे गरिमा सूरज की मां के पास सो रही थी, तो उसके भाई की पत्नी शीला गरिमा को वहां से लेकर चली गई और हत्या कर दी। गरिमा की हत्या के बाद शीला ने स्वयं ने हाथों पर चोट के निशान बना लिए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू की है।

थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि घटना को लेकर आसपास के लोग और परिवार से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। महिला के होश में आने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी।

झुंझुनूं में थ्रेशर मशीन में फंसने से युवक की मौत

- गेहूं निकालते समय युवक का संतुलन बिगड़ गया था, दो घंटे में निकाले गए शव के अवशेष

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के बगड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में थ्रेशर मशीन में फंसने से युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि युवक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और उसे बाहर निकालने में करीब दो घंटे का समय लग गया।

जानकारी के अनुसार नूनिया गोठडा निवासी विकास उर्फ कालू शुक्रवार सुबह पास के घासी का बास गांव में गेहूं की फसल निकलवाने गया था। इसी दौरान काम करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गेहूं के साथ थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर ट्रैक्टर बंद किया, लेकिन तब तक युवक का आधा शरीर मशीन के अंदर जा चुका था। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर बगड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मशीन में फंसे युवक के अवशेषों को निकालने में पुलिस और ग्रामीणों को करीब दो घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद शव को बगड़ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। युवक खेती-बाड़ी और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। अचानक हुए इस हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा में उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गयी हैं, जिसका यूबीएन GSU2627GLRC00001 हैं। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/1000 वित्त नियंत्रक

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PHED DIVISION KARAULI

PH NO.-07464-250219, E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for the supply and various maintenance works under phed division karauli are invited from interested bidders up to 24.04.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal eproc.rajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website.

NIB CODE:-PHE2627A0164

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
01	28/2026-27	PHE2627WSOB00341	03	30/2026-27	PHE2627WSOB00343
02	29/2026-27	PHE2627WSOB00342	04	31/2026-27	PHE2627WSOB00344

01	Total work	04
02	Total Estimate Cost	36.83 Lac
03	Bid submission end date	24.04.2026 up to 12.00 PM
04	Bid opening date	24.04.2026 at 03.00 PM

(Vijay Kumar Meena) Executive Engineer
Public Health Engineering Department
Division Karauli

DIPR/C/6977/2026